उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 33/2015/515सी(2)/छप्पन-2015-93/13

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2015

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागरिक उड्डयन विभाग के अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में इंगित लेखाशीर्षक के सापेक्ष तथा उसके नीचे दिये गये कारणों से प्राविधानित धनराशि की व्यय की आवश्यकता न होने के कारण कुल रूपये 10,34,000/- (रूपये दस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग को पुर्नग्रहण हेतु समर्पित की जाती है :-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखा शीर्षक	समर्पित की जाने वाली धनराशि
2203-तकनीकि शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय- 03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण-	
01- वेतन	274
02- मजदूरी	28
03-मंहगाई भत्ता	428
04-यात्रा भत्ता	34
05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	1
06- अन्य भत्ते	62
07- मानदेय	0
08-कार्यालय व्यय	1
09- विद्युत व्यय	0
10-जलकर/जल प्रभार	1
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2
13-टेलीफोन व्यय	19
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6
17- किराया उपशुल्क एंव कर स्वामित्व	70
22-आतिथ्य व्यय	0
26- मशीनें साज-सज्जा एंव संयंत्र	0
29-अनुरक्षण	2
42-अन्य व्यय	1

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44- प्रशिक्षण व्यय हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	24
45-अवकाश यात्रा व्यय	1
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	18
49-चिकित्सा व्यय	27
51-वर्दी व्यय	20
योग	1034
	(रूपये दस लाख चौंतीस हजार मात्र)

बचत के कारण:

01-वेतन- संस्थान के वाहन चालन का आकस्मिक निधन होने के कारण बचत हुई है।

02-मजदूरी- संस्थान के सफाई कार्यों हेतु सम्बन्धित संस्था से बिल प्राप्त न होने के कारण बचत हुई है।

03-मंहगाई भत्ता- संस्थान के वाहन चालक का आकस्मिक निधन होने के कारण बचत हुई है।

04-यात्रा भत्ता- इस मद में अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान किये जाने के फलस्वरूप बचत हुई है।

05-स्थानांतरण यात्रा व्यय- इस मद में स्थानांतरण न होने के कारण बचत हुई है।

06-अन्य भत्ते- संस्थान के वाहन चालक का आकस्मिक निधन होने के कारण बचत हुई है।

08-कार्यालय व्यय- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

13-टेलीफोन व्यय- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

29-अनुरक्षण- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

42-अन्य व्यय- इस मद में मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

44-प्रशिक्षण व्यय- इस मद में प्रशिक्षण आदि न होने के कारण बचत हुई है।

45-यात्रा व्यय- इस मद में टोकन प्राविधान होने के कारण बचत हुई है।

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय- मितव्ययिता बरतने के कारण बचत हुई है।

-----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49-चिकित्सा व्यय- कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों को आवश्यकतानुसार भुगतान किये जाने के कारण बचत हुई है।
51-वर्दी व्यय- कर्मचारियों को वर्दी देय न होने के कारण बचत हुई है।

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव।

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
संख्या: ई-7-355(2)/दस-2015-तद्दिनांक 31 मार्च, 2015

प्रतिलिपि महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त रूपये 10,34,000/- (रूपये दस लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्त विभाग द्वारा पुनग्र्रहीत कर ली गई है।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।

संख्या: 33/2015/515सी(3)/छप्पन-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।